

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:- सं.24(6)(8)पदो/अभि/2021/12602-07

दिनांक :- 31/1/22

आदेश

श्री पुष्पराम पुत्र श्री रामस्वरूप, निजी सहायक को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर, वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मेट्रिक्स लेवल -12 में रिक्ति की दिनांक 01.04.2021 से अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इनको पदोन्नति पर नगद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।


उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प 13 (1) साप्र/3/2013 दिनांक 16.12.2021 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।


(चंचल मिश्रा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
4. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा:- उप निदेशक अभियोजन अजमेर।
6. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर